सम्पादक के नाम

उग्र हिंदुत्व के दौर में, अयोध्या एक तहज़ीब के मर जाने की कहानी है

कहते हैं अयोध्या में राम जन्मे, वहीं खेले कूदे बड़े हुए, बनवास भेजे गए, लौट कर आए तो वहां राज भी किया, उनकी जिंदगी के हर पल को याद करने के लिए एक मंदिर बनाया गया, जहां खेले, वहां गुलेला मंदिर है, जहां पढ़ाई की वहां वशिष्ठ मंदिर हैं. जहां बैठकर राज किया वहां मंदिर है. जहां खाना खाया वहां सीता रसोई है. जहां भरत रहे वहां मंदिर है. हनुमान मंदिर है. कोप भवन है. सुमित्रा मंदिर है. दशरथ भवन है. ऐसे बीसीयों मंदिर हैं. और इन सबकी उम्र 400-500 साल है. यानी ये मंदिर तब बने जब हिंदुस्तान पर मुगल या मुसलमानों का राज रहा.

अजीब है न! कैसे बनने दिए होंगे मुसलमानों ने ये मंदिर! उन्हें तो मंदिर तोड़ने के लिए याद किया जाता है. उनके रहते एक पूरा शहर मंदिरों में तब्दील होता रहा और उन्होंने कुछ नहीं किया! कैसे अताताई थे वे, जो मंदिरों के लिए जमीन दे रहे थे. शायद वे लोग झूठे होंगे जो बताते हैं कि जहां गुलेला मंदिर बनना था उसके लिए जमीन मुसलमान शासकों ने ही दी. दिगंबर अखाड़े में रखा वह दस्तावेज भी गलत ही होगा जिसमें लिखा है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों के बनाने के लिए 500 बीघा जमीन दी. निर्मोही अखाड़े के लिए नवाब सिराजुदौला के जमीन देने की बात भी सच नहीं ही होगी, सच तो बस बाबर है और उसकी बनवाई बाबरी मस्जिद! अब तो तुलसी भी गलत लगने लगे हैं जो 1528 के आसपास ही जन्मे थे. लोग कहते हैं कि 1528 में ही बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई. तुलसी ने तो देखा या सुना होगा उस बात को. बाबर राम के जन्म स्थल को तोड़ रहा था और तुलसी लिख रहे थे मांग के खाइबो मसीत में सोइबो. और फिर उन्होंने रामायण लिखा डाली. राम मंदिर के टूटने का और बाबरी मस्जिद बनने क्या तुलसी को जरा भी अफसोस न रहा होगा! कहीं लिखा क्यों नहीं ?

अयोध्या में सच और झूठ अपने मायने खो चुके हैं. मुसलमान पांच पीढ़ी से वहां फूलों की खेती कर रहे हैं. उनके फूल सब मंदिरों पर उनमें बसे देवताओं पर.. राम पर चढ़ते रहे. मुसलमान वहां खड़ाऊं बनाने के पेशे में जाने कब से हैं. ऋषि मुनि, संन्यासी, राम भक्त सब मुसलमानों की बनाई खड़ाऊं पहनते रहे. सुंदर भवन मंदिर का सारा प्रबंध चार दशक तक एक मुसलमान के हाथों में रहा. 1949 में इसकी कमान संभालने वाले मुन्नू मियां 23 दिसंबर 1992 तक इसके मैनेजर रहे. जब कभी लोग कम होते और आरती के वक्त मुन्नू मियां खुद खड़ताल बजाने खड़े हो जाते तब क्या वह सोचते होंगे कि अयोध्या का सच क्या है और झूठ क्या ?

अग्रवालों के बनवाए एक मंदिर की हर ईंट पर 786 लिखा है. उसके लिए सारी ईंटें राजा हुसैन अली खां ने दीं. किसे सच मानें ? क्या मंदिर बनवाने वाले वे अग्रवाल सनकी थे या दीवाना था वह हुसैन अली खां जो मंदिर के लिए ईंटें दे रहा था ? इस मंदिर में दुआ के लिए उठने वाले हाथ हिंदू या मुसलमान किसके हों, पहचाना ही नहीं जाता. सब आते हैं. एक नंबर 786 ने इस मंदिर को सबका बना दिया. क्या बस छह दिसंबर 1992 ही सच है! जाने कौन.

छह दिसंबर 1992 के बाद सरकार ने अयोध्या के ज्यादातर मंदिरों को अधिग्रहण में ले लिया. वहां ताले पड़ गए. आरती बंद हो गई. लोगों का आना जाना बंद हो गया. बंद दरवाजों के पीछे बैठे देवी देवता क्या कोसते होंगे कभी उन्हें जो एक गुंबद पर चढ़कर राम को छू लेने की कोशिश कर रहे थे ? सूने पड़े हनुमान मंदिर या सीता रसोई में उस खून की गंध नहीं आती होगी जो राम के नाम पर अयोध्या और भारत में बहाया गया ?

अयोध्या एक शहर के मसले में बदल जाने की कहानी है. अयोध्या एक तहजीब के मर जाने की कहानी है.

- साइबर नजर

देश के आधे एटीएम बन्द होने का भाजपाई-उद्योगपति कनेक्शन

गिरीश मालवीय

कृपया पूरा पढ़े ....कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि देश भर के आधे एटीएम बन्द होने वाले है दरअसल एटीएम इंडस्ट्री से जुड़े संगठन सीएटीएमआई के हवाले से ये बात कही गयी थी संगठन ने इसकी वजह नियमों में हुए बदलाव को बताया, जिसके चलते एटीएम ऑपरेट करना आसान नहीं रह गया है।

सीएटीएमआई के डायरेक्टर वी बालासुब्रमण्यन के अनुसार अप्रैल 2018 में आरबीआई ने एटीएम सर्विस प्रोवाइडर और उनके कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त नियम लागू कर दिए थे, इन नियमों के अनुसार एटीएम सर्विस प्रोवाइडर की कुल संपत्ति कम से कम 100 करोड़ रुपए होनी जरूरी है। उसके पास 300 कैश वैन का बेड़ा होना अनिवार्य है। हर वैन में दो संरक्षक और दो बंदूकधारी गार्ड और एक ड्राइवर तैनात करना होगा। हर कैश वैन जीपीएस और सीसीटीवी से लैस होनी चाहिए। इसके अलावा सभी एटीएम का सॉफ्टवेयर विंडोज एक्सपी से विंडोज 10 में अपग्रेड होना चाहिए इसके अलावा सुरक्षा मानकों को ध्यान मे रखते हुए ओर भी नियम बनाए गए हैं।

अब इन नियमों को पढ़ कर आपको भी एक बार ऐसा लगेगा कि इसमें क्या गलत है सारे नियम तो पैसे की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए है कि जो दिखाया जाता है जरूरी नही है कि वही पूरा सच हो !

दरअसल इन 15 से 20 सालो में इस एटीएम के बिजनेस के पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गयी है जो जिसे मोटे तौर पर कैश लॉजिस्टिक बिजनेस से जुड़ी कम्पनियां कहा जा सकता है, इस बिजनेस का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बहुत छोटी ओर मध्यम श्रेणी की कम्पनियों के पास है जो स्स्स्थ की श्रेणी में आती है।

इस बिजनेस में बड़े पैमाने पर सेना से रिटायर होने वाले पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं जो इससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं 60 से अधिक भारतीय कंपनियां इन नियमों की वजह से कारोबार से बाहर हो जाएंगी, जिससे हजारों कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे लगभग 5,000 देसी सुरक्षा एजेंसियों बन्द हो जाएगी सिक्योरिटी से जुड़े क्षेत्रों से जुड़े लाखो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये सुरक्षा एजेंसियां पिछले 20 साल से भी अधिक समय से बैंकों और एटीएम को कैश सप्लाई का कार्य कर रही हैं।

सीएपीएसआई अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इन नए नियमों से केवल दो-तीन विदेशी कंपनियों को लाभ होगा। केवल यही कंपनियां बैंकों या एटीएम तक पैसा पहुंचाने के कारोबार में रह जाएंगी। नियमों को इस तरह बनाया गया है कि केवल इन कंपनियों को ही लाभ हो। अगर केवल विदेशी कंपनियों के हाथ में ही बैंकों, एटीएम और अन्य जगह पैसा पहुंचाने का कार्य चला जाता है तो यह देश की सुरक्षा को लेकर भी शंका उत्पन्न करता है।

अब बडी कम्पनियों द्वारा सरकार पर दबाव डाल कर जो सबसे महत्वपूर्ण नियम लागू करवाया जा रहा है वह यह है कि एटीएम सर्विस प्रोवाइडर की कुल संपत्ति कम से कम 100 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है तथा सर्विस प्रोवाइडर के पार 300 कैश वैन का बेड़ा होना जरूरी है।

कैश लॉजिस्टिक व्यापार में लगी इस नियम को पूरा करने वाली कम्पनी सिर्फ दो या तीन ही है और उसमे SIS शामिल हैं अब आपके सामने पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी क्योकि SIS कम्पनी के मालिक है बीजेपी बिहार के सबसे अमीर राज्यसभा सांसद RK सिन्हा।

RK सिन्हा का नाम पनामा पेपर्स में भी आ चुका है सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़ी यह कम्पनी बिहार की एकमात्र मल्टीनेशनल कंपनी है अब इस कम्पनी का प्रबंधन उनके लड़के ऋतुराज सिन्हा सम्भाल रहे है जो कैश लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएलएआई) के अध्यक्ष भी है और फिक्की की सिक्युरिटी सेक्टर कमेटी के को-चेयरमैन भी हैं।

ऋतुराज सिन्हा ने आते ही 2008 में ऑस्ट्रेलिया की चब सिक्युरिटी एजेंसी को खरीद लिया था जो निजी सुरक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी और एसआइएस से सात गुना बड़ी थी धीरे धीरे इस कम्पनी ने कैश लॉजिस्टिक के क्षेत्र में प्रवेश किया और सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो न्युनतम नेटवर्थ वाले नियमो को लागू करे, 2017 में स्स्स अपना IPO भी लेकर आया, साफ था कि उसे अब कोई बड़ा काम करना ही था।

कैश लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करने वाली कंपनियों के लिए सख्ती के साथ न्यूनतम नेटवर्थ संबंधी नियम का क्लॉज मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसलिए डलवाया, ताकि बहुत सी छोटी छोटी कंपनियों का बिजनेस एक झटके में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को सौप दिया जाए, आज जो लगभग 60 कम्पनिया यह व्यापार कर रही है ओने पोने दाम अपना बिजनेस इन दो तीन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच देगी और इस व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लेगी।

निजी सुरक्षा एजेंसियों का संगठन सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री,एटीएम इंडस्ट्री से जुड़े संगठन सीएटीएमआई, कैश वैन ओनर्स एसोसिएशन, जैसी लाखों कामगारों का प्रतिनधित्व करने वाली संस्थाए इन नियमो का विरोध कर रही है लेकिन कोई मीडिया हाउस इनकी आवाज उठाने में इंटरस्टेड नही है !

सीएपीएसआई अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इन नए नियमों से केवल दो-तीन विदेशी कंपनियों को लाभ होगा। केवल यही कंपनियां बैंकों या एटीएम तक पैसा पहुंचाने के कारोबार में रह जाएंगी। नियमों को इस तरह बनाया गया है कि केवल इन कंपनियों को ही लाभ हो। अगर केवल विदेशी कंपनियों के हाथ में ही बैंकों, एटीएम और अन्य जगह पैसा पहुंचाने का कार्य चला जाता है तो यह देश की सुरक्षा को लेकर भी शंका उत्पन्न करता है।

सिंह ने कहा, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब ये कंपनियां यह निर्णय ले लें कि वे किसी कारणवश अगले कुछ दिन कैश वितरण नहीं कर सकती हैं। ऐसे में नागरिकों तक पैसा कैसे पहुंचेगा ?

यानी सच तो यह है कि इस देश को पूरी तरह से बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में मोदी सरकार तन मन धन से लगी हुई है।

EPFO के आंकड़ों को समझने का तरीका और ईज ऑफ इडिंग नथिंग का ढिंढोरा

रवीश कुमार

अक्षय देशमाने ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दावेदारी को लेकर एक लंबी स्टोरी की है। अक्षय ने लिखा है कि इस रपट के लिए उन्होंने बैठकों के मिनट्स के सैंकड़ों पन्ने देख लिए हैं। कई प्रमुख लोगों से बात की है और सरकारी पत्रचार को भी देखा है तब जाकर यह रिपोर्ट की है। रिपोर्ट 20 नवंबर को छपी है। रिपोर्ट यह है कि कैसे मोदी सरकार ने रैंकिंग में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक के साथ लाबिंग कर रैकिंग की प्रक्रिया में बदलाव करवाया। जब उससे कामयाबी नहीं मिली तो कुछ मामूली सुधारों के ज़रिए रैंकिंग को हासिल करने की कोशिश की गई। लवीश भंडारी जैसे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बदले में भारत के आर्थिक सुधारों को विश्व बैंक ने प्रभावित किया।

अक्षय ने सूचना के अधिकार से कई दस्तावेज़ हासिल कर दिखाया है कि कैसे वित्त मंत्री जेटली ने प्रतियोगी परीक्षा की चालू तरकीबों का इस्तमाल कर रैकिंग में सुधार हासिल कर लिया और कोई ठोस बदलाव भी नहीं किया। इससे अर्थव्यवस्था को खास लाभ भी नहीं हुआ। मोदी सरकार के शुरूआती दौर में वित्त सचिव रहे अरविंद मरियम ने सवाल किया है कि अगर रैंकिंग सुधर रही है तो निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है। 2011 में जीडीपी का 38 प्रतिशत निवेश होता था तब तो हम ईज ऑफ डूइंगि बिदजेस में भारत की रैंकिंग भी अच्छी नहीं थी लेकिन 2018 में जब बहुत अच्छी हो गई तब निवेश जीडीपी का 27 फीसदी क्यों हैं। आप खुद भी इस रिपोर्ट को पढ़ें और समझें।

बिजनेस स्टैंडर्ड में 26 नवंबर के रोज़ ईशान बख्शी की रिपोर्ट कर्मचारी भविष्यनिधि फंड (EPFO) के आंकड़ों को लेकर है। इससे जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर दावा किया जा रहा है कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। डेटा से पता चलता है कि यह संख्या इसलिए बढ़ी हुई दिख रही है कि प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के कारण कंपनी को सरकार से अनुदान मिलता है। इस लाभ के लिए जो लोग पहले से नौकरी में थे वहीं ज़्यादातर जुड़े हैं। इससे पता नहीं चलता है कि नई नौकरियां बढ़ी हैं या पहले से काम कर रहे लोग ही योजना का लाभ लेने के लिए जुड़े हैं।

ईशान ने लिखा है कि ज़्यादातर 15000 से कम की सैलरी वाले लोगों को PMRPY का लाभ मिलता है। इससे भी पता चलता है कि किस लेवल की औपचारिक नौकरियों का सृजन हो रहा है। यहभी देखना होगा कि तीन साल बाद जब सरकार अपना हिस्सा जमा करना बंद कर देगी तब क्या कंपनियां इन कर्मचारियों को EPFO में इनका हिस्सा जमा कराएंगी या फिर इन्हें काम से हटा देंगी। आप जानते हैं कि सरकार ने तीन साल तक कंपनियों के हिस्से को जमा करने का नियम बनाया है। जो हिस्सा कंपनियों को देना है, वो सरकार दे रही है। एक तरह से सरकार जनता का पैसा देकर, जनता के लिए आंकड़े खरीद रही है, रोज़गार नहीं दे रही है।

अगस्त 2016 में PMRPY लांच हुई थी। पहले साल में इसे लेकर खासा उत्साह नहीं था। मात्र 425,636 नए लाभार्थी श्वक्क्नह से जुड़े। सितंबर 2017 से सितंबर 2018 के बीच यह संख्या तेज़ी से बढ़ी है। करीब 80 लाख लाभार्थी जुड़े हैं। नए डेटा से पता चलता है कि PMRPY के तहत नए लाभार्थी की संख्या 74 लाख है। जबकि इस एक साल में EPFO से जुड़ने वालों की संख्या करीब 80 लाख ही है। अक्तूबर 2018 तक PMRPY के तहत पंजीकृत संस्थानों की संख्या है 1, 27,122 है। 74 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। तो औसतन एक संस्थान में 62 कर्मचारी जुड़ते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री (ASI) के आंकड़ों में जो औसत कर्मचारियों की संख्या निकलती है वो PMRPY में पंजीकृत संस्थानों में काम करने वाले लोगों के बराबर ही है। आप हिन्दी के अखबारों में ऐसी पड़ताल नहीं देखेंगे। बेहतर है आप भी इस रपट को देखें और इसकी कमियों या खूबियों पर विचार विमर्श करें।

मुझे कई दिनों से एक दर्शक मित्र इस बारे में समझा रहे हैं। हम लोग हर विषय को नहीं समझ सकते हैं मगर जो उन्होंने लिखा है और मुझे बताया है मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में नियम है कि सरकारी टेंडर में वही ठेकेदार हिस्सा लेगा जिसने 20 लोगों का EPFO में पंजीकरण कराया है। इससे हुआ यह कि ठेकेदार टेंडर लेने के दोस्त रिश्तेदारों को कर्मचारी की जगह दिखाने लगे। उनका एक महीने का वेतन जमा कर दिया। EPFO का नियम है कि एक महीने का वेतन जमा करने के बाद उसका खाता 36 महीने तक सक्रिय रहता है। भले आप उसके बाद कुछ न जमा करें। इससे आंकड़े तो बढ़ गए लेकिन रोज़गार नहीं बढ़ा। एक ज़िले में औसतन 300 प्रकार के ठेकेदार होते हैं। आंकड़ों में इस तरह 6000 रोज़गार पैदा हो गया लेकिन असल में कितना हुआ, इस पर संदेह है।

कई बार संस्थान 15 दिन की ही सैलरी देते हैं और काम देना बंद कर देते हैं मगर उसका पंजीकरण EPFO में रहता है। डेटा में आपको दिखेगा कि एक को रोज़गार मिला है और व्यवस्था औपचारिक हो रही है मगर यह औपचारिक कहां हुई। मज़दूरी मिली 20 दिनों की और आंकड़ों में एक रोज़गार बढ़ गया। हम पत्रकारों को यह भी देखना चाहिए ऐसे कितने संस्थान हैं जो 1 या 2 कर्मचारियों की वृद्धि के कारण EPFO के दायरे में आए, तब वास्तविक वृद्धि 1 है या 20। आप जानते हैं कि 20 से अधिक कर्मचारी होने पर श्वक्क्नह में पंजीकरण कराना पड़ता है। 19 कर्मचारी हैं तब आपने पंजीकरण नहीं कराया। मगर एक नया आया तो आपको कराना पड़ गया। खाते में यह 20 रोज़गार दिखेगा लेकिन वास्तविकता तो यही है कि 19 तो पहले से ही काम कर रहे थे। हर संस्थान को हर महीने कर्मचारियों का हिस्सा जमा कराना होता है। इसे ECR REMITTENCE कहते हैं। एक तरह की प्राप्ति रसीद हुई।

देश भर के भविष्य निधि संगठन के 120 कार्यालय हैं। 100 से अधिक कार्यालयों ने उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले संगठनों की ताजा जानकारी ही नहीं दी है। ये तो हाल है जबकि ऐसा करना अनिवार्य है। तो आप नहीं जांच पाएंगे कि किसी कंपनी में अक्तूबर महीने में 20 लोग थे तो नवंबर में 20 ही हैं या कम हो गए। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना रोज़गार पैदा हुआ। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक ही महीने का डेटा जमा करती हैं। उनकी बातचीत को इसलिए शामिल कर रहा हूं ताकि आपमें से कोई इस विषय का जानकार हो या क्षमता रखता हो तो वेबसाइट पर जाकर चेक करे। कंपनियों की सूची में जाकर देखे कि कितने लोग पिछले महीने काम कर रहे थे और कितने लोग इस महीने काम पर हैं। तभी जाकर हम सरकार के दावों को ठीक से समझ पाएंगे।